

23.9.21

पत्रावली पेश हुई। अधोलक्षण प्राथमी व प्राथमी स्वयं अनुपस्थित। न्यायालय सभ्य से वकील - प्राथमी व प्राथमी स्वयं एवं अपाथी महा वार वार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः प्राथमी का प्राथमा पत्र अज्ञात आदेश - 09 सिपम 03 सी. पी. सी. के तहत जारी किया जाता है। आदेश बुलेटिन न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली जेसन कुमार देवा गम्बर से काम देकर दालिके दस्ता है।

